

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3-निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ०प्र० लखनऊ।

4-समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 2016

विषय- भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा-38 की उपधारा-1 के अधीन उत्तर प्रदेश पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा-38 की उपधारा-1 की द्वितीय अनुसूची के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-818/नौ-9-16-170ज/2006 दिनांक 08.09.16 द्वारा (उत्तर प्रदेश पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016) प्रख्यापित की गयी है। उक्त योजना की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया योजना के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,



(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

g-

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
 - 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
 - 6- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)।
 - 7- निदेशक, सूडा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
 - 8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया संलग्न अधिसूचना संख्या-818/नौ-9-16-170ज/2006 दिनांक 08.09.16 के हिन्दी एवं अंग्रेजी को सरकारी गजट उ0प्र0 असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 08.09.16 की तिथि में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 600 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल/वेब साइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।